

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
क्रमांक एफ 2(2)खा.वि./स्था.प्र./2020

जयपुर, दिनांक 5 .08.2022

संशोधित आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 04.08.2022 के द्वारा प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में क्र.स. 3 अंकित श्री रणजीत सिंह का पदनाम सहवन से प्रवर्तन अधिकारी के स्थान पर प्रवर्तन निरीक्षक टंकित हो गया है। अतः श्री सिंह का पदनाम प्रवर्तन निरीक्षक के स्थान पर प्रवर्तन अधिकारी पढ़ा जावे।




(कालूराम)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जैसलमेर/उदयपुर।
5. जिला रसद अधिकारी, जैसलमेर/उदयपुर।
6. श्री रणजीत सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, जैसलमेर।
7. रक्षा पत्रिका।


अतिरिक्त खाद्य आयुक्त